फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर(राज.)

प्रार्थी श्री अनिल बनाम श्री गणेश

रस्म मुकदमा : 212 R.T.Act

पत्रावली संख्या : 32/23 (प्रा.पत्र)

म ख्या	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाये जो जारी की गई ।
	<u>दिनांक : 06.04.2023</u> पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। अधिवक्ता श्री नरेश डांगी द्वारा प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का दस्तावेजात के पेश कर विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाने का निवेदन किया। हमनें अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन किया। दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना। प्रकरण में वर्णित तथ्यों एवम दस्तावेजात के आधार पर प्रकरण आवश्यक प्रकृति का प्रतीत होता है। अतः प्रकरण में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जाती है कि **मौजा आसना पटवार हल्का खेमली की आराजी नम्बर 935 से 944, 967, 968, 970 किता 13 रकबा 1.5216 हेक्टेयर भूमि में विपक्षीगण आगामी पेशी/जवाब पेश होने तक वादग्रस्त आराजीयात के मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे।** विपक्षीगण को हुक्म ईमत[illegible]रजी मजरिया जारी हो। पत्रावली [illegible] दिनांक 27.04.2023 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) मावली	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.08.29 16:37:48 IST
Reason: SelfAttested

20/4/23
पत्रावली तलब की गई। "प्रशासन गांवों के संग अभियान-2023" आयोजित किया जाने से पत्रावली में अधिवक्ता पक्षकारान को सूचित किया जाकर पत्रावली कैम्प खेमली दिनांक 12/5/23 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर
(SDO) मावली

12/5/23
पत्रावली आज कैम्प में पेश हुई। प्रकरण में पक्षकारों के मध्य राजीनामा नहीं हो पाया। अतः पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में न्यायालय हाजा में दिनांक-20/7/23 को पेश हों।

सहायक कलेक्टर
(SDO) मावली

18/7/23
पत्रावली ~~पेश~~ अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा तलबी मय विड्रो का पेश करने पर तलब की गई। प्रार्थी द्वारा प्रा. पत्र पेश कर पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने से प्रकरण को इसी स्तर पर ड्रोप किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थी की पहचान उनके अधिवक्ता द्वारा की गई। अतः प्रार्थी कोई कार्यवाही नहीं चाहने से प्रकरण को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रकरण को इसी स्तर पर ड्रोप किया जाता है। पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा हटाई जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया

अनिल
duty bys

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.08.29 16:37:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) मावली, जिला-उदयपुर

सहायक कलेक्टर
'SDO' मावली